8- चयन का आधार -

प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-2015-13/19/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रकिया) नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 के अनुसार की जायेगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

विज्ञापन संख्या-11-परीक्षा/2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/11 के अंतर्गत **स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)** के रिक्त पदों पर चयन हेतु कार्मिक अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1339/47-का-3-2021, दिनांक 03-11-2021 द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के साथ संलग्न है। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा की तिथि के सम्बन्ध में यथासमय पृथक से सूचित किया जायेगा।

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-11-परीक्षा/2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/11 के अंतर्गत **स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)** के रिक्त पदों पर चयन हेतु **लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कटऑफ अंक/परसेंटाइल स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा ।**

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

11.04- भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 27-11-2024 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।

11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.06- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

11.08- उत्तर प्रदेश चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष और महिला) अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2018 के भाग-5 के नियम 15 (ख) के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी को प्राविधानित अधिमानी अंक प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश के जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।

11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013,दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

11.11- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11.12- उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

11.13- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थायों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त

आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

11.14- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2024 से 27-11-2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11.15- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

11.16- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

11.17- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।

11.18- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

11.19- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

11.20- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

11.21- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नही करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।

11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

11.24- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।

11.25- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

11.26- स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो : परन्तु सरकार किसी महिला को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

11.27- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

11.28- अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

14/10/2024

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

विज्ञापन संख्या-11-परीक्षा/2024, स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/11 से सम्बन्धित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

File No.47-3099/41/2021- -3-

(100)
370
09-11-2021

संख्या-1339 /47-का-3-2021-

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

सचिव,
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 8 नवम्बर, 2021

विषय:- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 द्वारा मुख्य परीक्षा के अन्तर्गत प्रस्तावित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पदों पर चयन किये जाने हेतु परीक्षा योजना एवं पाठयक्रम पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या-155/34/चार/आयोग/2020-टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पदों पर चयन किये जाने हेतु परीक्षा योजना एवं पाठयक्रम की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना दिनांक 11.05.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के नियम-8(1) के प्राविधानानुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के पदों पर चयन किये जाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार निम्नवत् परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परीक्षा योजना

विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित कुल अंक	समयावधि
विषयगत ज्ञान	100	100	दो घंटा(120 मिनट)

नोट-लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि दो घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक (नेगेटिव मार्किंग) दिए जायेंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का ¼ अर्थात 25 प्रतिशत अंक होंगे।

पाठयक्रम

विषयगत ज्ञान-

1. - स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व
2. - भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का वाह्य रूप एवं योजनाएँ।
3. - एसमी, पीएचसी, सीएसमी और जिला अस्पताल का संगठन।
4. - स्वास्थ्य संस्थाएं: अंतर्राष्ट्रीय WHO, UNICEF, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, DANIDA, यूरोपीय आयोग। रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को। कोलंबो प्लान, आईएलओ, केयर आदि राष्ट्रीय: इंडियन रेड क्रॉस,इण्डियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि।
5. - स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व।
6. - एएनएम के लिए आचार संहिता।
7. - समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका।
8. - स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता,पोषण एवं बीमारी का आपसी सम्बन्ध।
9. - खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण।
10. - विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार।
11. - विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषणजनित रक्ताल्पता।

12-पाँच वर्ष तक के बच्चों का पोषण, पोषण में एएनएम/एफएचडब्ल्यू/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका।

13-मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य।

14- शरीर की स्वच्छता।

15-मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा।

16-संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय।

17-संक्रामक रोग: लक्षण, बचाव और उपचार: डिप्थीरिया, काली खांसी,टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कण्ठमाला(गलसुआ), रूबेला, आंत्र ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया,काला-अजार, ट्रेकोमा, नेत्रश्लेष्मलाशोथ, खुजली, एसटीडी और एचआईवी/एड्स एन्सेफलाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण, कुष्ठ रोग।

18-समुदाय में बीमारों की देखभाल: इतिहास लेना,शारीरिक परीक्षण: महत्वपूर्ण लक्षण।

19- ज्वर: महत्वपूर्ण संकेत: तापमान,नाड़ी,श्वसन, रक्तचाप।

20-स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार।

21-दवाओं का वर्गीकरण।

22-प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता।

23-सामान्य चोटें और बीमारियां।

24-कट और घाव: प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल।

25-शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक।

26-बच्चों का शारीरिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास।
27-दुर्घटनाएं: कारण, सावधानियां और रोकथाम।
28-विशेष स्तनपान।
29-विद्यालय स्वास्थ्य : उद्देश्य,समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण।
30-किशोरों के लिए यौन शिक्षा।
31-मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता।
32-किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारी।
33-भ्रूण और नाल।
34-सामान्य गर्भावस्था: गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण।
35-सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल।
36-नवजात की देखभाल।
37-गर्भावस्था की असामान्यताएं।
38-गर्भपात: गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारण।

1. Determinants of health.
2. Overview of health problems of communities in India.
3. Organiation of SC, PHC, CMC and district hospital.
4. Health agencies : international : WHO, UNICEF, UNFPA, UNDPA, World Bank FAO, DANIDA, European commission. Red Cross, US aid, UNESCO. Colombo Plan, ILO, CARE etc. National: Indian Red Cross, Indian Council for Child welfare, Family planning association of India etc.
5. Role and Responsibilities of ANM/FHW.
6. Code of ethics for ANM.
7. Role of Counsellor & Role of ANM/Female Health worker as counselor.
8. Importance of nutrition in healthe and sickness.
9. Classification of food and their nutritive value.
10. Balanced diet for different age group.
11. Vitamin and mineral deficiencies: Nutritional anaemia in women.
12. Under five nutrition,the role of ANM's /FHW/AWWs in supplementary food.
13. The Human body Stucture and body systems and their function.
14. Hygiene of the body.
15. Concept of mental health.
16. Control and prevention of communicable disease,General mearures.
17. Communicable deseases: Signs,Symptoms, care and prevention of the fllowing: diphtheria,pertussis, tetanus, poliomyelitis, measles and tuberculosis,Chicken pox, mump, rubella,enteric fever, hepatitis, rabies, malaria, dengue. filarial, kala-azar,trachona,conjunctivitis,scabies.STDs and HIV/AIDS, Encephalitis,Leptospriosis, Acute respiratory infections, Diarrhoeal diseases Worm infestations,Leprosy.
18. Care of the sick in the communitiy: taking history,Physical examination:

Vital sings.
19.Fever:Vital sings: Temperature,pulse,respiration,blood pressure.
20.Home care remedies & Integrated accepted practices of AYUSH
21.Classification of drugs forms.
22.Need of First Aid.
23.Minor Injuries and ailment.
24.Cuts and wounds:types,principles and first aid care.
25.Factors affecting growth and development in infants and children
26.Physical psychological and social development of children.
27.Accidents: causes,precautions na prevention.
28.Exclusive Breast feeding.
29.School healthe:Objectives,problems and programmes, Environment of school.
30.Sex education for adolescents.
31.Menstruation and menstrual hygiene.
32.Adolescent girls: pregnancy and abortion.
33.Foetus and placenta.
34.Normal pregnancy: Signs and symptoms of pregnancy.
35.Care during normal labour.
36.Care of new-born.
37.Abnormalities of pregnancy.
38.Abortion: types of abortion,cause of abortion.

भवदीय,

Signed by राजेश प्रताप सिंह
Date: 03.11.2021 13:54:57
Reason: Approved

(राजेश प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।